न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 42/2018 तारीख रजू 04.09.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. कालू खान पुत्र कमरूददीन निवासी तेली मोहल्ला ग्राम पोस्ट श्यामपुरा जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स इस्लामुददीन खान, मैन बाजार ग्राम पोस्ट श्यामपुरा जिला सवाई माधोपुर
2. रतन लाल जैन पुत्र कन्हैया लाल जैन (फर्म मालिक) मैसर्स कन्हैया लाल रतन लाल जैन छतरी बाजार शहर सवाई माधोपुर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर।
3. आशिष गुप्ता पुत्र नवल किशोर अग्रवाल निवासी हनुमान कॉलोनी वार्ड नं0 26 पोस्ट गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर (भागीदार) मैसर्स आशिष उद्योग एच–111, 112, 113 औद्योगिक क्षेत्र सालोदा पोस्ट गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर
4. अन्जु देवी पत्नि पुरषोत्तम दास अग्रवाल निवासी शंकर मिल पोस्ट गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर (भागीदार) मैसर्स आशिष उद्योग एच–111, 112, 113 औद्योगिक क्षेत्र सालोदा पोस्ट गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर
5. मैसर्स आशिष उद्योग एच–111, 112, 113 औद्योगिक क्षेत्र सालोदा पोस्ट गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर (निर्माता फर्म)

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 15/3/24

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.11.2017 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स इस्लामुदंदीन खान, मैन बाजार ग्राम पोस्ट श्यामपुरा जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहॉ पर कालू खान पुत्र कमरूददीन निवासी तेली मोहल्ला ग्राम पोस्ट श्यामपुरा जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति नहीं होना जाहिर किया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ तेल, आदि रखी हुई थी। परिसर में रखे खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. के 23 बोतल दुकान में रखी हुई थी। आवेदक ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ का कय बिल मांगा विक्रेता ने

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मौके पर बिल की प्रति पेश की। आवेदक ने खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. के चार पैक बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 180/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. की 4 बोतल को मूल ही लेकर चार लेबल तैयार करके उन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच 1275 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबंद नमूनो पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कालू खान पुत्र कमरूददीन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर तथा दो प्रतियॉ फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में सलीम वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3787 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 921/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/960 दिनांक 07.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. मिसब्राण्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त एक ने मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety & Standards Act 2006) खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का विक्रय कर एवं बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र लिये व्यवसाय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की क्रमशः धारा 26 की उप धाग्रा (2)(।।) एवं धारा 31(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 एवं 58 में जुर्माना योग्य अपराध है एवं उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त नं0 2 से 5 तक ने मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety & Standards Act 2006) खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की क्रमशः धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है अन्त में आवेदक ने अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 जरिये वकील सत्येन्द्र गोयल तथा अभियुक्तगण संख्या 3 से 5 जरिये वकील योगेन्द्र गोयल उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियुक्तगण द्वारा जरिये वकील बहस में तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट में उनके द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गई है। **जांच रिपोर्ट में नमूना बेच नंबर दिये होने किन्तु स्पष्ट नहीं होने एवं भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित होने से मिसब्रांड आया है** जबकि जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि नमूने पर बेच नंबर है जोकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये फार्म 5ए पर स्पष्ट लिखा है। इस प्रकार नमूने पर बेच नम्बर नहीं होने का कोई प्रमाण साबित नहीं होता है। जहां तक नमूने के भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित होने से मिसब्रांड का प्रश्न है, पत्रावली में भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित नमूना की प्रति चस्पा नहीं है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित किया गया। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा जांच रिपोर्ट गलत बताते हुए आवेदन पत्र खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety & Standards Act 2006) खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की क्रमशः धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है। जांच रिपोर्ट में नमूना भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित होने से मिसब्रांड आया है नाकि बेच नम्बर के स्पष्ट न दिखने के कारण। अभियुक्तगण ने भिन्न लोगो का फोर्टिफाइड लेबल मुद्रित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फोर्टिफिकेशन आफ फूड्स) विनियम, 2017 का उल्लंघन किया है। यदि अभियुक्तगण जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हे एफएसएस की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिन तक निर्धारित फार्म नं0 8 में आवेदन कर सकते थे किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब अभियुक्तगण द्वारा जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होना सही नहीं है। निर्माता कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में नमूना मिसब्राण्ड मानते हुए न्यूनतम जुर्माना से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 921/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/960 दिनांक 07.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। अभियुक्त संख्या 1 बिना खाद्य लाइसेन्स के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहे थे। जांच रिपोर्ट में नमूना भिन्न लोगो के साथ फोर्टिफाइड लेबल पर मुद्रित होने से मिसब्रांड आया है। अभियुक्तगण के जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर एफएसएस की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने को रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु निर्धारित फार्म नं0 8 में आवेदन कर सकते थे किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। निर्माता कम्पनी द्वारा भी अपने जवाब में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण 1 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 व 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। अभियुक्तगण 2 लगा. 5 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त संख्या 1 कालू खां पुत्र कमरूददीन को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का बिना खाद्य लाईसेन्स विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 व 58 के अन्तर्गत 5,000/–रू0 (अक्षरे पॉच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि तथा अभियुक्त संख्या 2 रतन लाल जैन पुत्र कन्हैया लाल जैन को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि.ली. का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत 5,000/–रू0 (अक्षरे पॉच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि एवं अभियुक्त संख्या 3 लगा. 5 आशिष गुप्ता पुत्र नवल किशोर अग्रवाल, अभियुक्त अन्जु देवी पत्नि पुरषोत्तम दास अग्रवाल एवं मैसर्स आशिष उद्योग एच– 111, 112, 113 औद्योगिक क्षेत्र सालोदा पोस्ट गंगापुरसिटी को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशिष उमा) 500 मि. ली. का निर्माण एवं विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से 40,000/–रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर